

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

--: सार्वजनिक सूचना-3 :-


क्रमांक / 7303 / भू-अर्जन / भूक़नी / 2020

राजनांदगांव, दिनांक 23 / 11 / 2020

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि कय नीति, 2016 के तहत लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी मार्ग के निर्माण/उन्नयन/विकास कार्य हेतु ग्राम चिखलाकसा, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. खुज्जी, तहसील छुरिया, जिला-राजनांदगांव के निम्नलिखित भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण महाप्रबंधक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में कय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

क्र	भू-धारकों का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	बीरबल पिता रोहिदास, जाति कलार	168/2	0.012	0.00132	मुख्य मार्ग पर स्थित
		168/7	0.040	0.01480	
	योग	02	0.052	0.01612	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।


 कलेक्टर
 जिला-राजनांदगांव


पृ0क्रमांक / 7303 / भू-अर्जन / भूक़नी / 2020

राजनांदगांव,

दिनांक 23 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3- तहसीलदार, छुरिया को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगांव, तहसील कार्यालय छुरिया तथा संबंधित ग्राम पंचायत- चिखलाकसा के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- आवेदक विभाग महाप्रबंधक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


 कलेक्टर
 जिला-राजनांदगांव